सं. 7/5/2012-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)/बी

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली दिनांक 12 फरवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राज्य सरकार/केंद्र सरकार/स्वायत निकाय में नई सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में उपदान के लाभ के लिए सेवा की संगणना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/41/06-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के द्वारा सेवा के दौरान मृत्यु/नि:शक्तता होने पर अशक्तता/नि:शक्तता पेंशन, कुटुंब पेंशन और सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के लाभ दिनांक 01.01.2004 से पहले भर्ती कर्मचारियों के सममूल्य पर एनपीएस कर्मचारियों को भी अनंतिम रूप से दिए गए थे। तत्पश्चात्, इस विभाग के दिनांक 26.08.2016 के का. ज्ञा. सं. 7/5/2012-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)/बी के द्वारा सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान के लाभ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उन्हीं नियम एवं शर्तों पर दिए गए, जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 द्वारा शासित कर्मचारियों पर लागू हैं।

2. एक संगठन से दूसरे संगठन में जाने पर सेवानिवृत्ति उपदान के लाभ के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए इस विभाग में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर व्यय विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उपदान की संस्वीकृति एवं उचित अनुमति सहित अन्यत्र पदस्थापन होने पर उपदान के लिए सेवा की गणना निम्न तरीकों से विनियमित की जा सकती है:-

(i) केंद्र सरकार की सेवा से अन्य केंद्र सरकार सेवा में जाने पर केंद्र सरकार के पिछले विभाग में दी गई सेवा की उपदान की देयता के लिए गणना की जाएगी। केंद्र सरकार के दो विभागों के बीच उपदान की पात्रता के लिए कोई साझेदारी नहीं होगी।

(ii) केंद्र सरकार की सेवा से केंद्र सरकार की तरह ही अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वाली राज्य सरकार में जाने पर, केंद्र सरकार में दी गई सेवाओं की उपदान की देयता के लिए गणना की जाएगी। वही प्रावधान केंद्र सरकार के विभाग में जाने पर राज्य सरकार के एनपीएस कर्मचारियों पर लागू होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच उपदान की पात्रता के लिए कोई साझेदारी नहीं होगी।

(iii) केंद्र सरकार की सेवा से केंद्र सरकार की तरह ही अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले केंद्र या राज्य स्वायत निकायों में जाने पर, केंद्र सरकार में दी गई सेवाओं की उपदान की देयता के लिए गणना की जाएगी। सरकार में दी गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति उपदान की राशि केंद्र या राज्य स्वायत निकायों को देकर सरकार द्वारा उपदान की जिम्मेदारी वहन की जाएगी। यही प्रक्रिया राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले कर्मचारी पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी, जो एक स्वायत निकाय से दूसरी स्वायत निकाय या एक स्वायत निकाय से केंद्र सरकार/विभाग/संगठन, यदि दोनों ने केंद्र सरकार की तरह अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना अपनाया है, में जाते हैं।

(iv) केंद्र सरकार से केंद्र या राज्य के स्वायत निकाय या राज्य सरकार में जाने पर जहां केंद्र सरकार की तरह उपदान देने का प्रावधान नहीं है या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में जाने पर राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले सरकारी कर्मचारी को केंद्र सरकार में दी गई सेवा के लिए नियमानुसार सेवानिवृत्ति उपदान दी जाएगी, बशर्ते भारत सरकार और बाद के संगठन में दी गई सेवाओं के लिए स्वीकार्य कुल उपदान उस स्वीकार्य राशि से ज्यादा नहीं होगा, जो अगर सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा जारी रखता और बाद के संगठन से सेवानिवृत्ति पर आहरित वेतन के समान वेतन पर सेवानिवृत्त होता।

ऊपर के प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो केंद्र/राज्य सरकार या केंद्र/राज्य स्वायत निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अन्य नियुक्ति लेने हेतु उचित अनुमति लेकर त्यागपत्र देते हैं।

3. यह व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.10.2019 के यू.ओ. नोट सं. 1(4)/ईवी/2006-II के तहत सहमति द्वारा जारी किया जाता है।

4. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर लागू, इन आदेशों को भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किया गया है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अंतर्गत अधिदेशाधीन है।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेश उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी कार्यालयों/क्षेत्र गठनों को अवगत कराएं।

(रूचिर मित्तल)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग